भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 232
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 6 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ कर्मियों के लिए आवास

232 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों को आवास प्रदान करने के लिए उपलब्ध और अधिकृत आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी है और एआर, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी के लिए निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी है;
(ख) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2019-20 से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए आवासीय परियोजनाओं हेतु निधियों का अल्प उपयोग किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधियों का प्रभावी और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के लिए उपलब्ध आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 1,32,918 है और प्राधिकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 2,65,298 है। निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों की संख्या 12,739 (असम राइफल्स -547; सीमा सुरक्षा बल -1,836; केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा

बल -1,688; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल-2,691; भारत तिब्बत सीमा पुलिस- 3,441; राष्ट्रीय सुरक्षा गारद-330 और सशस्त्र सीमा बल- 2,206) है।

(ख): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) मंत्रालय निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों को समय पर पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता है।

(ii) आवासीय इकाइयों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल "सीएपीएफ ई-आवास" के माध्यम से आवासीय इकाइयों के अंतर-बल आवंटन की अनुमति दी है।

(iii) नई आवासीय इकाइयों के आवश्यकतानुसार निर्माण के लिए पुलिस अवसंरचना की अम्ब्रेला स्कीम में प्रावधान किया गया है।

(ग): नहीं, महोदय।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

***